FIJIAN ELECTIONS OFFICE

My Election, My Fiji

ELECTION INFORMATION BOOKLET

चुनाव जानकारी पुस्तिका

2018 General Election

FIJIAN ELECTIONS OFFICE

My Election, My Fiji

MISSION

Our mission is the professional and independent conduct of credible elections that enables every Fijian to participate in Fiji's democratic process.

VISION

Our vision is to be recognised as a leader in establishing best practices in the conduct of elections.

CORE VALUES

Right to vote

Every citizen over the age of eighteen has the right to vote

One person, one vote, one value

Every voter has one vote, with each vote being equal

Secrecy of the ballot

Every voter has the right to vote by secret ballot

A single National Register of Voters

Every registered voter shall be listed on a single National Register of Voters

Honesty, Integrity, and Transparency

The Fijian Elections Office values honesty, integrity and transparency in all its transactions

Independence and Impartiality

The Fijian Elections Office is an independent body and shows no preference in either speech or action for any individual candidate or political party

Professionalism

The Fijian Elections Office is a professional body that adheres to the highest standards of conduct and practice

Innovation

The Fijian Elections Office aspires to introduce the most innovative solutions and practices in delivering its functions



ELECTION INFORMATION BOOKLET

चुनाव जानकारी पुस्तिका

नाम:	
मतदान स्थान:	

This Booklet is developed by the Fijian Elections Office to guide Voters and help them understand the Electoral processes and how to vote, in Fiji. This Booklet is for information purposes only and is subject to change and review by the Fijian Elections Office, if any amendment is made to any electoral laws, policies and procedures of the Fijian Elections Office.

The Fijian Elections Office will not be liable for any misinterpretation of this Booklet.

Copyright © 2018 by Fijian Elections Office.

Fijian Elections Office 59/63 High Street, Toorak

Suva, Republic of Fiji. Phone: (679) 331 6225 Email: info@feo.org.fj

ISBN: 978-982-9176-14-1

TABLE OF CONTENTS

Acronyms and Abbreviations	1
Glossary	2
Introduction	5
Registration	 7
At the Voter Services Centre	 5
Find Your Polling Venue	12
Methods of Voting	11
Persons with Disabilities	17
General Rules for Voters	18
Counting of Ballot Papers	18
Declaration of Results	22
Final National Results Tally	23
Allocation of Seats	23
Complaints	25
Frequently Asked Questions (FAQ's)	
Registration	26
Postal Voting	
Pre-Poll Voting	27
Election Day	28
General Queries	29

Forms

Objection to Registration as a Voter Appeal Against Decision of the Supervisor of Elections Postal Voting Application Form Complaint Form

1.0 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

APO Assistant Presiding Officer

EC Electoral Commission

FEO Fijian Elections Office

PDW Polling Day Worker

PO Presiding Officer

PS Polling Station

SoE Supervisor of Elections

TEE Tamper Evident Envelope


VL Voter List

VQC Venue Queue Controller

2.0 GLOSSARY

Ballot Paper	2014 एलैक्ट्रोल एक्ट द्वारा प्रैस्कराइब किया गया वोट करने वाला पेपर
Discarded Ballot Paper	क. जो बेलट पेपर पोलिंग स्टेशन के जमीन पे हो मगर बेलट बोक्स के अँदर न हो ख. वोटर द्वारा स्पोइल किया गया बेलट पेपर
Election Day	इसे ''पोलिंग डय'' भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट द्वारा रिट इशू होने पर इलेक्शन की सूचना दी जाती है
Electoral Act 2014	लेजिशलेशन जिससे जेनरल इलेक्शन कोँडक्ट होता है
Indelible Ink	वोट करने के बाद वोटर की उंगली पर इससे निशान किया जाता है ताकि वो दोबारा वोट नहीं कर सके। इसे कई दिनों तक मिटा नहीं जा सकता है
Invalid Ballot Paper	बेलट पेपर जिसमे: क. वोटर की कोईं निशानी हो जिससे वोटर की पहचान हो सकती है ख. वोटर इँडिकेक्टड नहीं है; ग.वोटर का इँटेनशन क्लियर नहीं है कि वो किसे वोट देना चाहता है; या फिर घ.जिसमे एक से ज्यादा वोट इँडिकेट किया गया है।
NRV	नेशनल रेजिस्टा ओफ वोटर्स जिसमे सभी रेजिस्टड वोटर डिटेल्स होती है और पब्लिक इन्स्पेक्शन के लिए एक्लिब्ल की जाती है।
PO's Record Book	प्रेसाएडिंग ओफिसर पालिंग स्टेशन में होने वाली सभी एक्टिवीटीस इस बुक मे रेकोर्ड करता है। इसमे प्रोटोकोल ओफ रिजल्टर्स का वोकशीट भी दिया गया है।
Polling	पोलिँग डय पर वोट करना या पोस्टल या प्रि-पोल द्वारा वोट करना।
Polling Agent	जो व्यक्ति इन्डिपेनडेन्ट केनडिडेट या पोलिटिक्ल पार्टि द्वारा इलेक्ट्रोल प्रोसेस ओब्सर्ब करने के लिए अपोइन्ट किया जाता है।

Polling Station	कोई बिल्डिंग या जगह जहाँ रेजिस्टर्ड वोटर्स वोट कर सकते हैं।
Presiding Officer	जो पोलिँग स्टेशन मे होने वाले सभी काम को देखता है
Proportional Representation	ेयह एक वोटिंग सिस्टम है जिसमे पार्टी को सीट्स वोट के हिसाब से दिया जाता है।
Protocol of Results	फोर्म जिसमे हर एक पोलिंग स्टेशन में केनडिडेट्स को दिए गए वोट्स रिकोर्ड किया जाता है
Reconciliation	काउंटिंग करने सेह पहले बैलट पेपर्स को प्रसिंडंग अफसर अकाउंट करता है
Spoiled Ballot Paper	जो बेलट पेपर वोटर से खराब हो जाता है। प्रिसाइडिंग ओफिसर वोटर को दोबारा बेलट पेपर इश् करता है
Tamper Evident Envelope	यह एक प्लास्टिक एनवेलोप है जिसे कोई किसी भी तरह खोल नहीं सकता है (डिस्ट्रोय करने के अलावा)।
Tendered Ballot Paper	बेलट पेपर उस वोटर को दिया जाता है जिसका नाम वोटर लिस्ट से कोस ओफ कर दिया जाता है लेकिन वोटर यह पूफ करता है कि उन्होंने वोट नहीं किया है। इन बेलट पेपर्स को एक एन्वेलोप में डाला जाता है।
Unused Ballot Paper	बेलट पेपर जो वोटर को नहीं इशू किया गया है।
Used Ballot Paper	बेलट पेपर जो वोटर को इशू कर दिया गया है।
Valid Vote	वोटर का सही तरह मार्कं किया गया बेलट पेपर जिससे पता चलता है कि वोटर किस कॅंडिडेट को वोट देना चाहता है।
Voter List	यह एक लिस्ट ओफ वोटर्स है जिससे यह पता चलता है कि वोटर्स किस पोलिंग स्टेशन में वोट करेंगे।
Voter Number	हर एक वोटर को दिया गया एक युनिक आइडैंटिफिकेशन नम्बर।
Voting Screen	यह एक कार्डबोर्ड से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें वोटर्स सिक्रेक्टली वोट कर सकते हैं।



3.0 INTRODUCTION

इलेक्ट्रोल किमशन [EC] और फीजियन इलेक्शन ओफिस [FEO] एक प्रभावी वोटर एजुकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह इलेक्क्षन इँफॉमइशन बुकलेट इस कार्यक्रम का एक भाग है।

यह आपको एलिजबल वोटर्स और रेजिस्टर्ड फीजियन वोटर्स – रेजिस्टर्ड वोटर्स कैसे बनते हैं वोटिंग प्रोसेस, काउँट ओफ बेलट्स, रिजल्टर्स डिक्लारेशन, सीट अलोकेशन और कोम्प्लट्रेंस मेकानिज्मस प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

EC और FEO यह आशा करती है कि सभी फीजियन्स इस बुकलेट का लाभ उठाएँ ताकि उनकी वोट 2018 जेनरल इलेक्शन में मान्य रखें।



4.0 REGISTRATION

वोट करने से पहले आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। वोटर लिस्ट में आपको सभी फिजीन्यस की रेजिस्ट्रेशन की जानकारी मिलेगी।

अगर आप रेजिस्टेड हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में दिखेगा।

4.1 Who can register?

रेजस्टिर करने के लिए आपको:


- रिट इश होने से पहले या रिट इश होने के दिन, 18 साल या ज्यादा होना ज़र्री है
- फिजी नागरिक होना जरूरी है
- 12 महीना या ज्यादा जैल में नहीं होना चाहिए
- अयोग्य वोटर घोषित नहीं किया गया हो।

4.2 What is required for registration?

- वेलिड बेर्थ सेटिंफिकेट और
- वेलिड फोटो आईं डी या फिर
- वेलिड फीजयिन पासपोर्ट होना चाहिए









रेजिस्टा करने के लिए रिक्वायड डोक्नेमेंटस का उदाहरण

4.3 How do I register?

- अपने करीबी वोटर सेविसस सेंटर जाएँ
- अपने सभी रिक्वायड डोक्नेमेंट्स के साथ
- अपना रेजिस्ट्रेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप किसी और के लिए रेजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं
- आप वोट करने के लिए सिर्फ एक ही बार रेजिस्टर कर सकते हैं
- दोबारा रेजिस्टर होना गैर कानूनी है।

4.4 What happens after I have registered?

जैसे आप रेजिस्टर हो जाते है आपको आप का वोटर कार्ड दिया जाएगा। वोट करने के लिए वोटर कार्ड प्रिज़ैंट करना जरूरी है।

4.5 Replacement of VoterCard

अगर आपका वोटर कार्ड:

- 1. चोरी;
- लापता;
- 3. या खराब

हो गया है तो अपनी नज़दीकी वोटर सेविस़स सेन्टर से रिप्लेसमैंट के लिए जाएँ|

4.6 Updating of Voter Details


आप अपना वोटर डीटेल्स अपडेट कर सकते हैं अगर

- 1. आपको उसमे कुछ गल्तियाँ दिखती है; या
- 2. आपको अपना डिंटेल्स चेंज करना है

वोटर डिटेल्स अपडेट करने के लिए अपने नजदीकी वोटर सेविसस सेन्टर जाएँ।

रेजिस्टर करने के बाद आपको आपका वोटर कार्ड मिलेगा। वोटर कार्ड 1.0 और वोटर कार्ड 2.0, 2018 जेनरल इलेक्शन के लिए वेलिड है।





4.7 Objection to Registration as a Voter

कोई भी रेजिस्टर्ड वोटर- जिसका नाम नेशनल रेजिस्टर ओफ वोटरस् में है, नीचे दिए गए ओप्शन्स के तौर पर किसी और रेजिस्टर्ड वोटर के खिलाफ ओब्जेक्ट कर सकता है।

- 18 साल का नही हुआ है
- फीजी सीटिज़न नहीं है
- 12 साल या ज्यादा प्रजन मे है
- उनका मेंटल डिस्ओर्डर डिक्लेयर हो चुका है

रिट इशू होने तक ही ओब्जेक्शन प्रोसेस ओपन है, ओब्जेक्ट करने के लिए आपको 'ओब्जेक्शन टू रेजिस्ट्रेशन एस आ वोटर' फोर्म फील कर के अपने नज़दीकी वोटर सेविसस सेंटर में सबीमट करें। फोर्म की कोपी इस बुकलेट में दी गई है। इस फोर्म को FEO वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है: https://www.feo.org.fj/wp-content/uploads/2017/09/OBJECTION-FORM.pdf



NOTE: अगर आपका रेजिस्ट्रेशन ओब्जेक्ट हो कर SOE से अपूर्व हो जाता है तो आप इसे EC से 14 दिनों के अन्दर अपील कर सकते हैं।

4.8 Deceased Voters

आप किसी भी डिसिस्ड वोटर की सूचना FEO को वेरिफिकेशन के लिए दे सकते है|

आप डिसिस्ड वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट को www.feo.org.fj से ले सकते है। डिसिस्ड वोटर की सूचना हमें: https://www.feo.org.fj/wp-content/uploads/2017/09/Confirmation-Deceased-Voter.pdf फोम द्वारा दे सकते हैं |



NOTE: किसी भी मृत्य व्यक्ति की जानकारी देने के लिए आपको अपना बेलिड फोटो आईं डी लाना पड़ेगा

5.0 AT THE VOTER SERVICES CENTRE

वोटर सेविस्स सेन्टर में आप:

- रेजिस्टर कर सकते हैं
- अपना रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक, वेरिफाए, अमेन्ड और कन्फर्म कर सकते हैं
- अपना वोटर कार्ड रिप्लेस कर सकते हैं
- अपने घर के किसी गुज़रे हुए सदस्य के बारे में हमें सूचित कर सकते हैं अपना पोलिंग वेन्यू बदल सकते हैं।

5.1 Voter Services Centres

Voter Services Centre	Location
Suva	Shop 10, GPO Building, Thomson Street, Suva.
Lautoka	36 Vitogo Parade, Lautoka.
Labasa	Legal Aid Commission Building, Old Court House, Jaduram Street, Labasa
Nausori	River Road, Nausori.
Savusavu	Lot 33, Main Street, Savusavu.
Rakiraki	Vaileka St, Rakiraki.
Nadi	Shop 5, WestPoint Arcade, Nadi.

6.0 FIND YOUR POLLING VENUE



6.1 Be a Prepared Voter









तैयार वोटर बनने के लिए


- अपना वोटर कार्ड लाएँ
- पोलिंग वेन्यू में जल्द आएँ यदि मौसम खराब है, तो आप एक छाता ला सकते हैं पानी की बोतल भी लाएँ
- अपना पोलिंग वेन्यू जानिए
- यदि आप उपर दिए गए सभी कर चुके हैं, तो एक और वोटर की सहायता करें

7.0 VOTING METHODS

7.1 Election Day

पोलिंग 7:30am शुरू होगा और 6:00pm बजे लास्ट वोटर के वोट करने के बाद बन्द होगा।


यह एक स्टेंडड पोलिंग स्टेशन का सेट-अप है



Be a Prepared Voter Election Day Voting Steps

STEP 1: Venue Queue Control

पोलिंग वेन्यू पर आते ही, वेन्यू क्यू कोंद्रोलर आपको पोलिंग स्टेशन की और जाने की इज़ाजत देगा



पोलिंग स्टेशन में एँटर करने के बाद, इनसाइड क्यू कोंटींलर आपकी उँगलियों में किसी तरह की निशान चेक कर के आपको वोटर इँसट्क्शन बुकलेट देगा। अब आप अइ-डी ओफिसर के पास जाएँ



अइ-डी ओफिसर को अपने वोटर कार्ट दिखाए। अइ डी आपका नाम चेक करने के बाद उसे वोटर लिस्ट में से कोस ओफ कर देगा







STEP 4: Signature

आपको बोटर लिस्ट के "सिग्नेचर कोलम" में साइन करना पड़ेगा। अब आपको आपका बेलट पेपर मिलेगा।



STEP 5: Ballot Paper Issuing

बेलट पेपर इश्रूअर आपको एक ही बेलट पेपर देगा। वो आपको बेलट पेपर मार्क करने का मेथड बताएगा। अब आप बोटिंग स्क्रीन की ओर जाएँ।



STEP 6: Ballot Paper Marking

बोठिँग स्कीन पर पहुँचते ही, अपना बोटर इँस्ट्रक्शन बुकलेट की मदद से, अपना चोसन केन्डिडेट को बोट करें। बेलट पेपर में केवल एक ही केन्डिडेट नम्बर को सेर्किल या टिक या कोस करें। बेलट पेपर को चार बार फोल्ड करने के बाद इँकर के पास जाएं।



STEP 7: Inking

इँकर लेफ्ट हैंंड की इँडैक्स फिँगर को इँक की बोतल में डुबो कर मार्क करेगा। अब आप बेलट बोक्स की ओर जाएँ।



STEP 8: Placing Ballot Paper in Ballot Box

अपने बेलट पेपर को बेलट बोक्स में डालें।



STEP 9: Leaving Polling Station and Polling Venue

अब आप पोलिंग स्टेशन और पोलिंग वेन्यू से जा सकते हैं।



7.2 Pre-Poll Voting

EC द्वारा अपूव किया गया नीचे दिए गए लोग ही प्रि-पोल वोटिंग कर सकते हैं:

- जो लोग भीतरी इलाके में रहते हैं
- नर्सिंग होम या हेल्थ केयर फेसिलिटीस के रेसिडेंट्स हैं
- डिसिप्लिंड फोर्संस के मेम्बर्स हैं
- जो प्रि-ट्राइल डिटेन्शन या सेन्टेन्स ओफ इमप्रिजमेन्ट में हैं।

प्रि-पोल लोकेशन्स की लिस्ट आपको https://goo.gl/6dQXss मैं मिलेगा।

SoE द्वारा या सुनिध्चित किया जाएगा कि बेलट पेपर्स को सभी जगहौँ पर ले जाया जाएगा जहाँ प्रि-पोल वोटिंग किया जाएगा।



NOTE: प्र-पोल बेलट पेपस नेशनल काउँट सेन्टर मेँ काउँट किया जाएगा|

Pre-Poll Voting Steps

STEP 1: Inside Queue Control

जैसे ही आप पोलिंग स्टेशन एन्टर करेंगे वहाँ का इन्साइड क्यू कोंट्रोलर आपकी उँगलियाँ में किसी भी चीज़ की निशान चेक करेगा। चेक करने के बाद वो आपको वोटर इँस्ट्रक्शन बुकलेट देगा। अब अइ-डी ओफिसर के पास जाएँ



STEP 2 : Identification

अइ डी ओफिसर को अपना वोटर कार्ड या कोईं भी वेलिड फोटो आईं डी दे। आइ डी ओफिसर अब आपका नाम वोटर लि स्ट में देख कर एक लाइन खींच देगा।



STEP 3: Signature

सिग्नेचर कोलम में आप साइन करे ओर बेलट पेपर इधूवर के पास जाएँ।



STEP 4: Issuing the Ballot Paper and Secret Envelope

बेलट पेपर इपूवर आपको बेलट मार्किंग मेथड बताएगा और सिक्टेट एन्वेलोप में डालने का प्रोसिजर बताएगा। बेलट पेपर को बेलट बोक्स में डालने से पहले उसे सिक्टेट एन्वेलोप में डालें। आपको सिर्फ एक बेलट पेपर और सिक्टेट एन्वेलोप दिया जाएगा। अब आप वोटिंग स्कीन की ओर जाएँ।



STEP 5: Marking the Ballot Paper

बोटिंग स्कीन के पास , बोटर इँस्ट्रक्शन बुकलेट मैं से अपने पसँद के केंडिडेट को चुनें और सिकल या टिक या कोस करे।



STEP 6: Placing of Ballot Paper into the Secret Envelope

याद रहे बैलट पेपर को ही मार्क करना है। अपने बेलट पेपर को फोल्ड करें और सीकोट एन्वेलोप में डालें। अब आप इँकर के पास जा सकते हैं।



STEP 7: Inking

इँकर आपके लेफ्ट हैंड का इँडेक्स फिँगर या छोटी फिँगर को इँक में डालेगा। अब आप बेलट बोक्स की ओर जाएँ।



STEP 8: Taping the opening of the Secret Envelope

बेलट बोक्स गार्ड आपके सिकेट एन्वेलोप की ओपनिंग को स्पेशल टैप से सील करने के बाद आपको अपना सिकेट एन्वेलोप को बेलट बोक्स में डालने की अनुमति देगा।



STEP 9: Leaving the Polling Venue अब आप पोलिंग वेन्य से जा सकते हैं।



7.3 Postal Voting

पोस्टल वोटिंग करने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?


पोस्टल वोटिंग करने के लिए सभी रेजिस्टर्ड वोटर्स नीचे दिए गए काइटेरिया को फोलो करना पड़ेगा:

- ओवरसीस काँउदी में रिसाइड करना;
- अप्लीकँट की रिलीजियस बीलिफ्स / वर्कं कमीटमेँट या बीमारी के कारण पोलिँग स्टेशन नहीँ जा पाना
- अप्लीकँट प्रि-द्राइल डिटेन्शन या सेन्टेन्स ओफ इम्प्रज़मेन्ट में है

पोस्टल वोटिँग करने के लिए हमारे वेबसाइट पर दिए गए पोस्टल वोटिँग अप्लीकेशन फोमँ को फील करें: https://www.feo.org.fj/wp-content/uploads/2018/02/POSTAL-VOTING-APPLICATION-FORM-2.pdf. इस फोमैं की कोपी आपको इस बुकलेट मैं मिलेगा.

FEO पोस्टल वोणिंग अप्लीकेशन को इलेक्शन की डेट अनाउँस होने पर रिसीव करेगा और अप्लीकेशन टवेन्टी वन डएस (21) बाद बन्द होगा.

पोस्टल वोणिंग पैकज



Voting Steps - Postal Voting

FEO दारा आपको पोस्टल वोठिँग पैकज मिलेगा।



पोस्टल वोटिंग पैकज के अन्दर आपको वोटर इँस्ट्रक्शन बुकलेट, एक बेलट पेपर, सिकेट एन्वेलोप, ट्राँसिशन एन्वेलोप और रिटर्न एन्वेलोप मिलेगा।



वोटर इँस्ट्रक्शन बुकलेट की मदद से अपनी पसँद की केर्नडिडेट को वोट करे



अपनी चोइस के केनीडडेट नम्बर को सर्किल, या टिक या कोस करे



वेटिंग करने के बाद, बेलट पेपर को फोल्ड कर के सिकेट एन्वेलोप में डाले



एन्वेलोप को सील कर के, द्राँसिमशन एन्वेलोप में डाले



द्राँसिम्भन एन्वेलोप के पीछे दिए गए डिक्लारेशन फोर्म को साइन करे



ट्राँसिमशन एन्वेलोप को रिणर्न एन्वेलोप में डाल कर कूरियर के ज़रिए एन्वेलोप मे लिखे गए पते पर भेजें





NOTE: पोस्टल बेलट पेपर्स नेशनल काउँट सेँटर मे काँउट किए जाएगा

7.4 बेलट पेपर मार्क करने का उदाहरण







CIRCLE

TICK

CROSS

8.0 PERSONS WITH DISABILITIES

उन लोगों को शामिल करता है जिनको शारिरीक, मानसिक बौद्धिक या सँवेदिक अक्षमताएँ हैं और जिन्हें दूसरो के साथ बातचीत करने मे विभिन्न बाधाएँ पहुँचती है। इन सभी कारणों से उनको समाज मँ इक्वली भाग लेने के लिए बाधाएँ होती हैं।

प्रिसाइडिंग ओफिसर पोलिंग स्टेशन मे सिर्फं एक ही व्यक्ति है जो कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में फिज़ीकली डिस-एबल वोर्ट्स को असिस्ट करने के लिए अथोराइज़ड है। प्रिसाइडिंग ओफिसर उनके लिए बेलट पेपर भी मार्क कर सकते हैं।


9.0 GENERAL RULES FOR VOTERS

नीचे दिए गए रूल्स को फोलो करेँ:

- हरेक वोटर सिर्फ वही पोलिंग स्टेशन में वोट कर सकता है जहाँ उनका नाम वोटर लिस्ट में है
- लाइन में खड़े होने के लिए बूढ़े लोग जो डिस्एबल हैं और गर्भवती महिलाओं को पहला मौका दिया जाएगा
- हर एक वोटर को अपना बेलट पेपर गुप्त में यानि सिकेटली मार्क करना है
- वोट करने के बाद वोटर अपना चोइस ओफ केन्डिडेट किसी के सामने ज़ीर से नहीं अनाउँस कर सकता है
- बेलट पेपर को बेलट बोक्स में डालने के बाद वोटर को तुरन्त पोलिंग वेन्यू से जाना होगा

10.0 COUNTING OF BALLOT PAPERS

इलेक्शन डे पर पोल बन्द होने के बाद ही, हर एक पोलिंग स्टेशन की बेलट पेपर काउंट होगा| पोस्टल बेलट पेपर्स और प्री-पोल बेलट पेपर्स, SoE के बताए हुवे टाइम और डेट पर, नेशनल काउंट सेंटर में काउंट होगा|



10.1 Counting Process

STEP 1:

पोलिंग स्टेशन में सभी बेलट पेपर्स का रिकॉंसिलेएशन

वोटर लिस्ट में नम्बर ओफ वोट्स सिग्नेचस + अनयूसड बेलट पेपर्स + स्पोइलड बेलट पेपर्स् पोलिंग स्टेशन में रिसीव किए गए टोटल नम्बर ओफ बेलट पेपर्स

		TOTA
Α.	Number of ballot papers received from FEO (as shown in section 1.1 of the PO's Record Book)	100
В.	Adjustments after your check count	+ 0
	(N.B. ballot papers must be check counted prior to polling day)	-
C.	PLUS ballot papers RECEIVED from (if applicable)	+ 0
D.	TOTAL (A + B +C)	100
BL	E 2: Reconciliation of Ballot Papers (complete this table after the close of Po	II)
	Description	ТОТА
E.	Description Number of voter signatures on Voter List	TOTA 90
E. F.	•	
	Number of voter signatures on Voter List	90
F.	Number of voter signatures on Voter List Number of unused ballot papers	90

STEP 2:

बेलट बोक्स की फाइव सील्स को चैक और वेरिफाय किया जाएगा। बेलट बोक्स तभी खुलेगा जब सब सील रिकॉंसाइल होगा।

अगर बेलट बोक्स सील्स में किसी भी तरह की डिस्कीपन्सी दिखेगी तो बेलट बोक्स को नहीं खोला जाएगा और उसे क्वारन्टीड डिक्लेयर कर दिया जाएगा।





NOTE: सिर्फं SoE या FEO स्टाफ डिस्किप्न्सी किया गया बेलट बोक्स सील्स को खोल सकता है

STEP 3:

वोटर लिस्ट मे टोटल सिग्नेचस् के मुताबिक बेलट बोक्स से बेलट पेपर्स का रिकॉसिलिएश न होगा।






NOTE: यदि बेलट पेपर रि-कॉंसिलिएशन में किसी भी तरह की डिस्किपेंसी है तो बेलट पेपर्स को रि-कॉंउट किया जाएगा

बेलट पेपर्स काँउट करने से पहले,बेलट पेपर्स को अनफोल्ड किया जाएगा और इच केनी डडइट नम्बर के मुताबिक उसे कोलम रैंज में सेट किया जाएगा। इच कोलम रैंज के बेल ट पेपर्स को काँउट किया जाएगा। इनवेलिड वोट्स को भी काउँट किया जाएगा। इच कोलम को टोटल करने के बाद उसे वोटर लिस्ट की टोटल सिग्नेचर से रिकौंसाइल किया जाएगा।



STEP 5:

कोलम बाय कोलम कॅंडिडेट नम्बर्स के मुताबिक पेपर्स को सोर्ट किया जाएगा। हर एक केन्डिडेट की बेलट पेपर की काँउटिंग होगी। रिज़ल्टर्स को रिकार्ड बुक मे प्रोटोकोल ओफ रिज़ल्टर्स वकँशीट पर एँटर किया जाएगा।



STEP 6:

जब प्रिसाइडिंग ओफिसर को PO रिकोर्ड बुक के प्रोटोकोल ओफ रिज़ल्ट्स वर्कशीट में लिखे गए रिज़ल्ट्स कोरेक्ट लगेगा तब रिज़ल्ट्स को प्रोटोकोल ओफ रिज्ल्ट्स में ट्राँस्फर किया जाता है।

11.0 RESULTS DECLARATION

पोलिंग स्टेशन की रिज़ल्ट्स को प्रोटोकोल ओफ रिज़ल्ट्स में रिकोर्ड करने के बाद, प्रिसाइडिंग ओफिसर उस पर साइन ओफ करेगा। इस काम को भी तीन इलेक्शन अबजरवर विट्नस कर सकता है।

								Protocol	of Resu	lts: Result	s of Cou	int							
NOTE : Th	is copy m	ust be encl	osed in a	Tamper Evi	dent Em	elope and	sent to	the Count C	(ORi	GINAL)									
Candidate Number	Total Votes																		
							_						6.						
													_						
													1						
														6.					
										- 4									
									1				-						
								- 6											
								1											
							1		-										
				1 -															
					. T														
		1	_																
Subtotal		Subtotal	一	Subtotal		Subtotal	Г	Subtotal	Γ^{-}	Subtotal	Γ^{-}	Subtotal	$\overline{}$	Subtotal	Γ^{-}	Subtotal	Г	Subtotal	$\overline{}$

जैसे ही प्रोटोकोलओफ रिज्ल्टस,विटनस हो जाता है, प्रिसाइडिंग ओफिसर कोल सेन्टर को कोल करके रिजल्ट ट्राँसिमट करेगा। कोल सेन्टर से रिज़ल्ट्स को नेशनल रिज़ल्ट्स सइन्टर में सब्मट किया जाएगा जहाँ सारे पोलिंग स्टेशन और नेशनल काँउट सेन्टर के रिज़ल्ट्स प्रोविज्नल रिज़ल्ट्स के रूप में रिसीव किया जाता है। प्रोविज़नल रिज़ल्ट्स सिर्फ 7.00am दूसरे दिन तक दिया जाएगा।

सेकण्ड (2nd) कोपी जो कि पिँक कलर का है डिटैच करने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर पब्लिक को दीखने के लिए प्लैस कर दिया जाता है|

थर्ड (3rd) कोपी जोकि ग्रीन कलर का है, बेलट बोक्स में सैफ कीपिँग के लिए रख दिया जाता है।

प्रोटोकोल ओफ रिज़ल्ट्स की ओरिजिनल कोपी, प्रिसाइडिंग ओफिसर टैम्पर एविडेंट एन्वेलोप मे डाल कर नेशनल काँउट सइन्टर भेज देता है जिसके बाद पोलिंग डय वकर्स पोलिंग स्टेशन की सारे सामान पैक कर देते हैं।

12.0 FINAL NATIONAL RESULTS TALLY

जैसे ही रिज़ल्ट्स सभी पोलिंग स्टेशन और नेशनल काँउट सेन्टर से मिल जाता है रिज़ल्ट्स सेन्टर फाइनल नेशनल रिज़ल्ट्स टैली तैयार करता है जो SoE साइन ओफ करते है।

SoE फाइनल नेशनल रिज़ल्ट्स टैली EC को सीट अलोकैशन के लिए हैंड-ओवर करते हैं.

13.0 SEAT ALLOCATION

EC को SoE द्वारा फाइनल नेशनल रिजँल्ट्स दिया जाएगा। फाइनल नेशनल रिज़ल्ट्स टैली में:

- i. टोटल नम्बर ओफ वोट्स रिसीवड बाय इच केंडिडेट होगा;
- ii. टोटल नम्बर ओफ वोट्स रिसीवड बाय इच पोलिटिक्ल पार्टी होगा;
- iii. पार्टी लिस्ट ज्यादा से ले कर कम वोट्स रिसीव किए गए कॅंडिडेट्स के नाम लिस्ट मे दिखेगा

हर एक कॅंडिडेट का टोटल नम्बर ओफ वोट्स कैलकुलेट किया जाएगा और फिर 5% थ्रेष्होल्ड अप्लाई किया जाएगा।

जिन पोलिटिक्ल पार्टी यह इँडिपेन्डेन्ट कॅंडिडेट को 5% ओफ टोटल वोट्स नहीं मिलता है उन्हें पार्लियामेन्ट में से कोई सीट नहीं मिलेगा। ECिडटामिन करता है कि कौन सी पार्टी कॅंडिडेट को पार्लियामेन्ट का 51सीट मिलेगा।

FOR MORE INFORMATION VISIT:

www.feo.org.fj



FOR MORE INFORMATION ON ELECTORAL COMMISSION VISIT:

www.electoralcommission.org.fj



14.0 COMPLAINTS

अगर कोई रेजिस्टर्ड वोटर किसी इलेक्शन ओफिशल्स से खुश नहीं है तो वो EC से एक कोम्पलेंट लोज कर सकता है।

कोम्प्लैंट्स लोज करने के लिए आपको "Complaints Form" कोम्प्लीट करना पड़ेगा। यह फोर्म आपको इलेक्शन डय पर प्रिसाइडिंग ओफिसर से मिल सकता है या www.feo.org.fj से डाउनलौड कर सकते हैं। इस बुकलेट में भी आपको कोम्प्लैंट्स फोर्म मिलेगा।

सभी कोम्प्लैंट्स नीचे दिए गए पते पर भेजिए

HAND DELIVERED

Supervisor of Elections Fijian Elections Office 59/63 High Street Toorak Suva

POST MAIL

Supervisor of Elections Fijian Elections Office PO Box 2528 Government Buildings Suva

EMAIL

info@feo.org.fj

15.0 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:

REGISTRATION:

क्या मुझे 2018 जेनरल इलेक्शन के लिए फिर से रेजिस्टर होना पड़ेगा?

आपको फिर से रेजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। अगर आप रेजिस्टर्ड हैं तो आपका वोटर कार्ड नेक्स्ट जेनरल इलेक्शन के लिए वेलिड है। लेकिन अगर आपका नाम और एडरैस बदल गया है तो आप अपने नज़दीकी FEO ओफिस जा कर फोर्मंस फिल कर के अपना डिटैल्स चैंज कर सकते हैं।

क्या मैं अपनी बेटी का वोटर कार्ड ले सकती हूँ?

कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का वोटर कार्ड नहीं ले सकता है। FEO वोटर कार्ड देने से पहले हर एक वोटर को वेरिफाई करेगा।

पिछले जेनरल इलेक्शन में मैंने कोरोवोउ में वोट किया अब मैं लेवूका में रहने लगा हूँ। क्या मैं अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन में वोट कर सकता हूँ?

नहीं। आप को 'चैंज ओफ एडरैस' फोर्म फील कर के अपने नज़दीकी वोटर सेविसस सेन्टर मैं ले जा कर अपना डिटैल्स अपडैट करना होगा।

POSTAL VOTING

पोस्टल वोटिंग कब ओपन और क्लोज होगा?

इलेक्शन डैट अनाउँस होने पर, रेजिस्टर्ड वोर्ट्स पोस्टल वोटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकैशन्स इलेक्शन डय से 21 डेयस् पहले 5:00pm FEO पहुँच जाना चाहिए। लैट अप्लीकैशन को असैप्ट नहीं किया जाएगा।

रेजिस्टर ओफ पोस्टल वोर्ट्स क्या है?

यह एक रेजिस्टर है जिसमें सभी रेजिस्टर्ड पोस्टल वोर्ट्स का नाम और वोटर नम्बर्स लिखा होता है।

क्या कोई कॅंडिडेट या पोलिटिक्ल पार्टी 'रिजिस्ट्रार ओफ पोस्टल वोर्ट्स की कोपी ले सकता है?

जी हाँ, कोई भी केंटिडडेट या पोलिटिक्ल पार्टी एक फी पेय करने के बाद रैजिस्ट्रार ओफ पोस्टल बोर्ट्स' ले सकते हैं।

पोस्टल बेलट पेपर की वैरिफिकैशन कब स्टार्ट होता है?

रेजिस्टर्ड पोस्टल बेलट पेपस् की वैरिफिकेशन , इलैक्शन डय से सात श्भत्त दिन पहले शुरू होगा। पोलिंग के बन्द होने के बाद नेशनल काँउट सेन्टर में पोस्टल बेलट्स की काँउटिंग होगी।

पोस्टल बेलट पैपस् को कब गिना जाएगा? पोलिंग के बन्द होने के बाद नेशनल काँउट सेन्टर में पोस्टल बेलट्स की काँउटिंग होगी

PRE-POLL VOTING

क्या प्र-पोल वोटिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड पोलिंग वेन्यू सेट-अप हैं?

सेट-अप लैआउट पोलिंग वेन्यू पर डिपेन्ड करता है। प्रि-पोल वोटिंग कौन ओब्सर्व कर सकता है?

FEOसे अउथोराइज़ेशन लिए हुए कोई भी पोलिंग एजेंट, अक्रीडैटड ओब्सेज़र प्रि-पोल वोटिंग प्रोसेस ओब्सर्व कर सकता है।

प्रि-पोल वोटिंग ओर इलेक्शन डय वोटिंग में क्या डिफरेन्स है?

सभी प्रोसेस सैम है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि प्रि-पोल वोटिंग में बेलट पेपर को बेलट बोक्स में डालने से पहले एक सिकोट एन्वेलोप में रखा जाता है, जब्कि इलैक्शन डय में बेलट पेपर को सीधे बेलट बोक्स में डाला जाता है।

प्रि-पोल वोट्स कब गिना जाएगा?

पोल बन्द होने के बाद, नैशनल काउंट सेटंर में होगा।

ELECTION DAY

अगर वोटर की उँगली पर पहले से ही इनडेलीब्ल इँक का निशान हो तो?

उससे यह पता चलता है कि वोटर ने वोट कर लिया है और उसे बेलट पेपर नहीं दिया जाएगा

क्या होगा अगर कोई वोटर अपने बेलट पेपर की कोंटेंट को पोलिंग स्टेशन में ज़ोर से अनाउँस कर देता है?

अगर कोई यह काम करता है तो प्रिसाइडिंग ओफिसर उस बेलट पेपर को बेलट बोक्स में डालने की पर्मिशन नहीं देता है और उसे कोंफिंसिकेट कर के इनवेलिड कर देता है क्या होगा अगर वोटर ने वोट नहीँ किया पर उसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है?

अगर वोटर साबित करता है की उसने वोट नहीं किया है तो उसे एक बैलट पेपर दिया जाएगा| हालांकि उसका वोट बैलट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा और "टेन्डड बैलट पेपर्स" वाला एनवेलप में डाला जाएगा और काउंट भी नहीं किया जाएगा।

अगर वोटर ने मिस्टैक से अपने बेलट पेपर को स्पोइल कर दिया है और प्रिसाइडिंग ओफिसर उसे रीड नहीं कर सकता है तो उसे दोबारा बेलट पेपर मिलता है। स्पोइल्ड बेलट पेपर को वोटर के सामने प्रिसाइडिंग ओफिसर 'Cancelled' स्टैम्प कर के अपना इनीशिल्स लिखेगा और 'Spoiled Ballot Paper' एन्वेलोप में सील कर देगा।

GENERAL QUERIES

वैंडिडेट नोमिनेशन्स कब अपोन होगा?

जैसे ही EC को जनरल इलेक्शन का रिट मलिता है

रेजिस्ट्रेशन ओफ पोलिटिक्ल पार्टींस कब क्लोज़ होगा?रिट इशू होने पर क्लोज़ होता है

नेशनल कॅंडिडेट्स लिस्ट कब प्रिपेयर होता है?

नोमिनेशन के बन्द होने के सात (7) दिन बाद नेशनल कैंडिडेट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा

कॅंडिडेट्स को उनका तीन (3) डिजिट नम्बर कब मिलेगा?

कॅंडिडेट बोल ड्रो होने के बाद ही उनको उनका तीन डिजिट नम्बर मिलेगा

रिट क्या है?

पार्लियामेन्ट को प्रेसिडँट का दिया हुआ डोक्यूमेन्ट को रिट कहते हैं जिसमेँ लिखा होता है कि इलैक्शन कब होना चाहिए।

पार्टीस कैम्पेनिंग कब स्टाटं कर सकते हैं?

जैसे ही पार्टी रेजिस्टर हो जाता है तो वो कैम्पेइन स्टार्ट कर सकते हैं।

FIJIAN ELECTIONS OFFICE

59 - 63 High Street, Toorak P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva

www.feo.org.fj

Phone : 3316 225 Fax : 3316 026

OBJECTION TO REGISTRATION AS A VOTER

To the Supervisor of Elections

DETAILS OF OBJECTOR

EVR Number:		Date of E	Birth:
Surname:		First Name:	
Current Occupation:	Telephone/ Mobile:	Telephone/ Mobile: Email:	
Residential Address: [This part is co	ompulsorul Bos	stal Addres	
Residential Address. [This part is co	mpuisoryj Pos	stai Autires	
DETAILS OF PERSON OBJECT	ΓED TO:		
Surname:		First Na	me:
GROUNDS FOR OBJECTION Please indicate below your grounds for	objection:		
Has not reached the age of eig	-		
Is not a citizen of Fiji; OR			
Serving a sentence of imprisor OR	nment of twelve (12) months or lo	onger impo	sed by a court in Fiji or by a court of another country;
	clared to have mental disorder		
DECLARATION BY OBJECTO I solemnly declare that I have made a cobelief.		hat those fa	cts above are true to the best of my knowledge and
	makes a statement or declaration i urpose of the Electoral Act 2014 co	mmits an o	n with an application for registration as a voter or ffence and shall be liable upon conviction to a fine not
Signature of Objector:		Date:	
Witness:		Date:	
Note: This form must be witnessed by	either a Justice of Peace or Com	missioner	for Oath.
For Official Use Only			
		D. L. D.	
Received by:Receivers Signature:		рате ке	ceived:
Receivers Signature.			
This Section is for the SoE			
_			
Actions Taken: D	ismissed Upheld		
Signature:		Date: _	

Signature of Appellant: __

THE ELECTORAL COMMISSION

REPUBLIC OF FIJI

59 - 63 High Street, Toorak, Suva. P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva. Phone: +679 331 0255 Fax: +679 331 9513 Website: www.feo.org.fj

APPEAL AGAINST DECISION OF THE SUPERVISOR OF ELECTIONS

To the Electoral Commission DETAILS OF APPELLANT EVR Number: _____ Date of Birth: ___ Surname: First Name: Current Occupation: _____ Telephone/ Mobile: _____ Email: ___ Postal Address Residential Address: [This part is compulsory] **DETAILS OF DECISION:** Decision Reference Number: Is a copy attached GROUNDS FOR APPEAL:

Date: __

(Tear Along The Perforated Line)

FIJIAN ELECTIONS OFFICE

59 - 63 High Street, Toorak P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva

www.feo.org.fj

Fax 3316 026

PP-40-App

	POSTAL VOTIN	NG APPLICAT	TION FORM	
Initial Instruction	ıs	FEO Date Stamp:		Time
Use a tick (✓) when		FOR OFFICIAL USE ONLY		
Use Black or Blue p		Form Complete Approved	Yes / No Yes / No	PVID#
• Use BLOCK LETTE	RS to complete form	Rejected - Incomplete / Not Rejection letter sent	legally compliant Date:	
1.0 Applicants Det	ails: Mr. Mrs.	Ms. Name as sh	own on your VoterCard)	
Family Name:				
Given Name (s):				
Phone: Country Code:	Mobile	:	Email:	
VoterCard Numb	oer:			
2.0 Address Detail	s:			
	Postal Code			
I am living outsic liave a serious i I am under pre-ti Due to my religio	For Postal Voting because:- de of Fiji or will be outside of Fiji of the of Fiji of the of Fiji of the or will be outside of Fiji of the or will be detention or sentence of improved by the beliefs or membership of a relate hours of polling I am precluded of memory and place of residence and the polling day.	on the polling day; e to travel from my plac isonment; igious order, I am precl from attending a pollin	nded from attending a polli g station; or	ng station or for the
4.0 Statutory Declar	<u>aration</u>			
I Solemnly declare the	hat the information provided he	rein is true to the best		
knowledge and belie	ef.		Your Signature or	thumbprint
Declared at	this	day of	20 before me and I ce	rtify that the
	d over in the	-		•
meaning thereof.	Signature of Witness and Stamp	Fijian Electio Lawyer / Con Justice of the	nmissioner for Oaths Fi	otary Public ji Police Force Officer ji Missions Civil Servan

HOW TO FILL IN THE POSTAL VOTING APPLICATION FORM?

When filling in the form:

- Use a tick where appropriate
- Use a blue or black pen only
- Use BLOCK LETTERS to complete the form

1.0 Applicant Details:

- Write down your name as shown in the Voter Card
- If you are residing overseas, ensure that you fill in the correct **Phone Country Code** , mobile number and email address
- Ensure that you fill in your Voter Card number correctly.

2.0 Address Details:

· Delivery Address -

It's important that you fill the correct home address in this section. Fill in the correct Street Name, and house number. Your Postal Voting package will be hand delivered to you on the address that you highlight in this section. *Ensure that your Postal code or area code is correct.*

Correspondence -

Due to time limitation for those residing overseas, we would recommend that you fill in an address that will ensure that you receive your letter of correspondence from FEO notifying you of whether your application has been approved or not. If not, you have to amend changes needed and the time span used for the correspondence to from you to FEO and back.

3.0 I am applying for Postal Voting because: -

- Indicate your reasons for applying. Tick the appropriate box provided.
- **4.0 Statutory Declaration:** Ensure that this section of the Postal Voting Application Form is filled out in the presence of a witness as indicated on the form and ensure that its signed and stamped.

You can email your completed Postal Voting Application Form to: postalvote@feo.org.fi.

If you seek clarifications, do not hesitate to contact us on email: info@feo.org.fj or via our Facebook page: Fijian Elections Office or www.fijielects2018.com.fj or call 3316 225.

Voter Check List	
Attach a copy of your Voter Identification Card ONLY	
Witness stamp visible	

FIJIAN ELECTIONS OFFICE

59 - 63 High Street, Toorak P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva

www.feo.org.fj

Fax

: 3316 026

COMPLAINT FORM

Fill in ALL information below. Do not	leave blanks. See i	nstructions to fill o	out form (on back).
Type of Complaint: (Tick one)			
Voter Registration Registration	gistration of Political	Parties	Campaign
Postal Voting Pro	e-Polling	Counting	Polling Day
Where did you submit this complain	t?		
Date submitted:			
Are you submitting this complaint on	behalf of a Candid	late? (Circle one)	YES / NO
If YES, provide candidate's name:			
Are you a Polling Agent? (Circle One)	YES / NO		
Complainant: Who is submitting Con	nplaint?		
Name:			
Address:			
Phone No.: Are you	1? (Circle One): FEM	ALE / MALE Vote	r No:
Details of Complaint:			
Date and time of incident:			
Location of Incident or Allegation:			
Describe Incident or Allegations in Detail (a	attach additional page i	f more space is required	<i>t</i>):
Are there witnesses to the incident?			
If YES, what is their name and contact in			
Do you have any information or evide	=		
If YES, please attach description with the	nis form		
Affirmation: By submitting this form, y to be accurate and you reasonably bel Parties Act 2013 and Electoral (Voter	ieve that a violatio	n of any of these Ac	
Print Name of Complainant	Print Name of	Witness	Witness's Signature
Complainant's Signature:		Date	9:

COMPLAINT FORM INSTRUCTIONS

A Complaint Form may be used during the Fijian Elections. This form may be submitted to the Fijian Elections Officer ["FEO"] or the Presiding Officer ["PO"] at the Polling Venues.

This form may only be submitted by those Complainants if:

- The PO refuses to recognize or address any substantial breach; or
- You reasonably believe that a violation of the Electoral Act or other laws has occurred during the voter registration, political party registration, campaign, postal voting, pre-polling, polling or count.

NOTE: ALL complaints relating to election results must follow the process pursuant to section 99 of the Electoral Act 2014. This form is NOT used for that process.

Complainants may submit this form to the PO at the polling venue or to the FEO. It is important that all the information you provide is accurate and that you are not filing a false claim. You must sign the form knowing that the information you give is true.

Tips for completing a Complaint form

- Please provide full name and contact information for the complainant. The complainant must be available to answer questions about the complaint or grievance.
- Please describe in detail the circumstances of the complaint or grievance. Provide the location of the complaint, names of individuals involved, actions taken, and what is believed to be the electoral offence.
- If there are witnesses, the witness(es)' name and accurate phone numbers must be provided.
- If you have evidence, you must submit it with this form. Submission of evidence or information after the form is submitted will be rejected and will not be used to support your complaint or grievance.

What will happen next

- Your complaint form will be reviewed by the SoE.
- A decision will be delivered in writing to you.
- Political Parties and Candidates may appeal this decision to the Electoral Commission. An Appeal form
 may be obtained from the FEO or the FEO website (www.feo.org.fj).

ELECTION INFORMATION BOOKLET FIJIAN ELECTIONS OFFICE

Notes

ELECTION INFORMATION BOOKLET FIJIAN ELECTIONS OFFICE







Contact us

Phone: +679 331 6225 | **Fax:** +679 331 6026 **Email:** info@feo.org.fj | **Web:** www.feo.org.fj

Facebook: @Fijianelectionsoffice | Twitter:@OfficialFEO

HEADQUARTERS

59-63 High Street, Toorak, Suva. P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva.

VOTER SERVICES CENTRE

Shop 10, GPO Building, 10 Thomson Street, Suva. P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva.

LAUTOKA OFFICE

36 Vitogo Parade, Lautoka.
P. O. Box 2528, Government Buildings, Suva.

LABASA OFFICE

Bashir Building, Vakamasisuasua, Nasekula Rd, Labasa.

